

संख्या-2724/11(2)/15-05(मोमोघो)/2015

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:-

देहरादून दिनांक 24 अप्रैल, 2015

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 63 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 63 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 3726.21 लाख (रु सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चातू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 63 कार्यों हेतु ₹ 6.30 लाख (रु छः लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैंडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूलस-2008, एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैन्युअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-21-मिख/मार्शक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 बृहत् निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविष्ट निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

-7-

शासनादेश संख्या- 2724/11(2)/15-05(मु0म0घ0)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

45	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 52/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट में शहीद दीवान सिंह के नाम पर चकहारी सड़क से चकहारी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	18.54	0.10
46	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 37/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट में बुसाछीना धौनखोला) से रसैपाटा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	70.92	0.10
47	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 50/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट में खर्कदेश (मडगानदे) से नन्दकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	92.25	0.10
48	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-448/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत कण्वाग्रम- पौखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण सेतु सहित कार्य।	10.00 + 35 mt + 90 mt	196.02	0.10
49	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-455/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत चुव्यानी- गुमातगांव-दुधौली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00	126.63	0.10
50	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-454/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत अमोला से डांडा दमराणा तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	53.64	0.10
51	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-458/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत खेड़ा से दुवडा तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	1.00	18.09	0.10
52	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-459/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत भुगुखाल से निसणी तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	94.05	0.10
53	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-464/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र- यमकेश्वर के अन्तर्गत यमकेश्वर से दुंगा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	94.05	0.10
54	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-464/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत आमकाटल से दुंगा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	75.24	0.10
55	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-457/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत गंगाभोगपुर से ताल, कण्डरा मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	54.27	0.10
56	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-462/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र- यमकेश्वर के अन्तर्गत स्यालनी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	41.31	0.10
57	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-452/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत पोखाल से माण्डई मोटर मार्ग का डामरीकरण।	6.00	1.02	0.10
58	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-456/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत दुगाड़डा- जुवा- बोरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2.00	26.10	0.10

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0न0वि0
पिथौरागढ़